राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–निदे/मु.नि.नि.रा.यो (दवा)/2025/......76 दिनांकः 22/01/2025

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला औषधि भण्डार गृह
राजस्थान।

विषयः– मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योंजना (दवा) की मॉनिटरिंग ई–औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिदिन करने के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) वर्ष 2011–12 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना की ऑनलाईन मॉनिटरिंग हेतु ई–औषधि सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग करने हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों पर प्रतिदिन शत प्रतिशत दवा पर्चियो का ई–औषधि सॉफ्टवेयर में इन्द्राज करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु ओपीडी एवं दवा पर्चियों का इन्द्राज की संख्या का मिलान करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही लापरवाह एवं दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें।
2. जिला औषधि भण्डार गृह, चिकित्सालयो के उप औषधि भण्डार एवं दवा वितरण केन्द्रो पर निर्धारित मापदण्डानुसार बफर स्टॉक एवं दवाईयो की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
3. निकट अवधि पार दवाईयो का समय रहते उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
4. आयुष्मान आरोग्य मन्दिरो को भी ई–ऑषधि सॉफ्टवेयर से जोड दिया गया है, अतः इन केन्द्रो के प्रभारी द्वारा दवा पर्चियो का इन्द्राज करवाया जावे।
5. राज्यवार रैकिग निर्धारित करने हेतु मापदण्ड तय किये गये है, इन मापदण्डो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवायी जावे।
6. योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों मशीन विद मैन, संविदा फार्मासिस्ट एवं डीडीसी हैल्पर को नियमानुसार प्रति माह की 5 तारीख तक मानदेय भुगतान किया जाना सूनिश्चित करे।
7. चिकित्सा संस्थान पर दवाईयां उपलब्ध नही होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर क्रय करवाकर दवाईयां उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी चिकित्सा संस्थान पर NA Hit नही हो।
9. नियर एक्सपायरी दवाईयों का नियमानुसार प्राथमिकता से उपयोग करवाये।

उक्त परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु संबंधित अधिकारियो को एवं आपके कार्यालय व अधिनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सूचना सहायको को प्रतिदिन ऑन लाईन मॉनिटरिंग करने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करे एवं अपने स्तर पर प्रति सप्ताह मंगलवार को उक्त बिन्दुओं की मॉनिटरिंग करे एवं इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियो एवं कर्मचारियो के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

निदेशक (जन. स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–निदे/मु.नि.नि.रा.यो (दवा)/2025/......76 दिनांकः 22/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 स्वा0 एवं प0 क0 विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–समस्त।
3. प्रभारी सर्वर रूम को संबंधित को ईमेल वास्ते एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।

निदेशक (जन. स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH SHARMA <director.ph-rj@nic.in>.
Digitally Signed by Ravi Prakash Sharma
Designation : Director
Date :22-01-2025 12:25:17

RajKaj Ref No.: 13133875